

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1963
उत्तर देने की तारीख-05/08/2026

सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद

1963 श्री रायगा कृष्णैया:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देशभर के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत पदों की कुल संख्या कितनी है;
- (ख) शिक्षकों के रिक्त पदों की राज्य-वार और श्रेणी-वार संख्या कितनी-कितनी है;
- (ग) उक्त रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और
- (घ) शिक्षकों के सभी रिक्त पदों को भरने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का एक विषय होने के कारण, देश के अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। तदनुसार, शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें और तैनाती संबंधित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक क्षेत्र में आती है। सरकारी स्कूलों में राज्य-वार और श्रेणी-वार विवरण सहित संस्वीकृत और रिक्त शिक्षण पदों से संबंधित डेटा संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन द्वारा रखा जाता है।

यूडाइज़+ के अनुसार, देश भर के सरकारी स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है। शिक्षकों की भर्ती संबंधित राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा उनके भर्ती नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार की जाने वाली एक सतत प्रक्रिया है। सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, नए पदों के सृजन और नए स्कूलों की स्थापना के परिणामस्वरूप छात्र नामांकन में वृद्धि जैसे कारकों के कारण समय-समय पर रिक्तियां उत्पन्न होती हैं। ऐसी रिक्तियों को भरने की समय-सीमा भी संबंधित राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा निर्धारित की जाती है।

केन्द्र सरकार अपनी ओर से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर सलाह देती है कि वे स्वायत्त शिक्षक भर्ती बोर्डों अथवा इसी प्रकार के संगठनों सहित पारदर्शी और योग्यता आधारित भर्ती प्रक्रियाओं के माध्यम से शिक्षकों के रिक्त पदों को भरें। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निरंतरता और निष्पक्षता का ध्यान रखते हुए और प्रौद्योगिकी आधारित व्यापक शिक्षक संबंधी आवश्यकता योजना तथा पूर्वानुमान प्रक्रिया के बाद प्रतियोगी चयन के माध्यम से शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने संबंधी प्रगति की समीक्षा स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर आवधिक रूप से की जाती है।

इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार, समय-समय पर संशोधित निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के तहत निर्धारित मानदंडों के अनुसार स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर उचित छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) बनाए रखने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 में सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित छात्रों की बड़ी संख्या वाले क्षेत्रों में प्रत्येक स्कूल में 30:1 से कम और 25:1 से कम छात्र-शिक्षक अनुपात बनाए रखने पर बल दिया गया है। यूडाइज़+ 2025-26 के अनुसार, राष्ट्रीय पीटीआर बुनियादी स्तर पर 10, प्रारंभिक स्तर पर 12, मध्य स्तर पर 17 और माध्यमिक स्तर पर 21 है।

रिक्त शिक्षण पदों को भरने की समय-सीमा संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा उनके भर्ती नियमों, प्रशासनिक आवश्यकताओं और रिक्त पदों की उपलब्धता के अनुसार तय की जाती है।

अनुलग्नक

“सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद” के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री रायगा कृष्णैया द्वारा दिनांक 05/08/2026 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1963 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

सरकारी स्कूलों में पदस्थ शिक्षक (2025-26)

राज्य	पदस्थ शिक्षक			
	कुल	बुनियादी+प्रारंभिक	मिडिल	माध्यमिक
भारत	51,34,623	17,54,291	15,32,001	18,48,331
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4,758	877	799	3,082
आंध्र प्रदेश	2,01,125	74,616	7,254	1,19,255
अरुणाचल प्रदेश	16,288	3,001	6,576	6,711
असम	2,16,716	95,731	40,479	80,506
बिहार	5,36,061	1,64,481	2,42,606	1,28,974
चंडीगढ़	5,518	43	284	5,191
छत्तीसगढ़	1,86,139	74,645	53,452	58,042
दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली	3,264	546	1,656	1,062
दिल्ली	83,384	18,287	319	64,778
गोवा	3,805	1,997	321	1,487
गुजरात	1,94,679	27,386	1,53,108	14,185
हरियाणा	1,00,969	32,256	10,378	58,335
हिमाचल प्रदेश	66,267	19,080	5,243	41,944
जम्मू एवं कश्मीर	91,569	18,748	38,988	33,833
झारखंड	1,16,372	35,945	45,188	35,239
कर्नाटक	1,93,644	34,830	95,197	63,617
केरल	82,601	16,294	15,626	50,681
लद्दाख	5,289	734	2,426	2,129
लक्षद्वीप	729	179	192	358
मध्य प्रदेश	3,99,970	1,28,006	1,22,807	1,49,157
महाराष्ट्र	2,23,687	91,352	1,08,297	24,038
मणिपुर	16,970	6,615	2,944	7,411
मेघालय	20,297	9,964	7,587	2,746
मिजोरम	14,239	5,378	5,560	3,301
नागालैंड	18,195	5,791	5,968	6,436
ओडिशा	2,13,165	60,916	78,991	73,258
पुदुचेरी	4,959	1,513	551	2,895
पंजाब	1,22,813	51,471	8,217	63,125
राजस्थान	4,41,070	63,341	1,16,481	2,61,248
सिक्किम	10,933	2,038	2,220	6,675
तमिलनाडु	2,21,451	56,778	47,102	1,17,571
तेलंगाना	1,56,178	43,867	14,336	97,975
त्रिपुरा	26,881	4,862	5,840	16,179
उत्तर प्रदेश	6,27,124	3,40,103	2,59,477	27,544
उत्तराखंड	59,401	22,738	7,270	29,393
पश्चिम बंगाल	4,48,113	2,39,882	18,261	1,89,970

स्रोत: यूडाइज़+ 2025-26